



File No: 1-1829-HealthCertificate/FSSAI/Imports-2021-Part(2)
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
(A statutory body established under the Food Safety and Standards Act, 2006)
(Trade and International Cooperation Division-TICD)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002

Dated: 19th March, 2024

ORDER

Subject: Requirement of Integrated Veterinary Health Certificate for import of milk and milk products into India-reg.

Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) vide Order no. 1-1829-HealthCertificate/FSSAI/Imports-2021 dated 3rd August, 2022 notified the requirement of Health Certificate to be accompanied with the imported food consignments of milk and milk products, pork and pork products and fish and fish products. Subsequently, the date of the implementation of the said order was extended till further order vide Order no. 1-1829-HealthCertificate/FSSAI/Imports-2021 dated 24th February, 2023.

In view of the representations received from various stakeholders, Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD) after consultation with FSSAI notified the integrated veterinary health certificate for import of milk and milk products into India vide DAHD O.M. no. L-11/1/2019- Trade (E-11542) dated 31st March, 2023, which incorporates both- FSSAI's food safety requirements and DAHD's sanitary requirements.

Further, in order to facilitate trade and considering representations from trading partners, DAHD vide O.M. no. L-11/1/2019- Trade (E-11542) dated 3rd January, 2024 extended the transition/migration time for implementation of the requirement of integrated veterinary health certificate till 30th June, 2024 (copy attached). As per the said O.M., the imported consignments of milk and milk products having bill of lading/ date of issuance of VHC from exporting countries after 30th June, 2024 will only be considered for post- import clearance based upon integrated veterinary Health Certificate for import of Milk and Milk Product into India.


19.03.2024
(Manvesh Kumar IRS)
Director (TICD)

To,

1. All Authorised Officers- for compliance.
2. Additional Director General, Risk Management Division, Central Board of Excise and Customs (CBIC)
3. Joint Secretary, AHD, Department of Animal Husbandry and Dairying- for information.
4. Director, Customs- for circulating to all officials of customs who has been nominated as Authorised Officers
5. Commissioner (Single Window), CBIC- for circulating to all officials of customs who has been nominated as Authorised Officers
6. CITO, FSSAI for uploading on FSSAI website

आदेश

विषय: भारत में दूध और दूध उत्पादों के आयात के लिए एकीकृत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता के संबंध हेतु।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) आदेश क्रमांक. 1-1829-HealthCertificate/FSSAI/ Imports-2021 दिनांक 3 अगस्त, 2022 द्वारा दूध और दूध उत्पादों, पोर्क और पोर्क उत्पादों और मछली और मछली उत्पादों के आयातित खाद्य खेप के साथ स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता को अधिसूचित किया गया है। तत्पश्चात, आदेश संख्या 1-1829-HealthCertificate/FSSAI/Imports-2021 दिनांक 24 फरवरी, 2023 द्वारा उक्त आदेश के कार्यान्वयन की तिथि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।

विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी) ने एफएसएसएआई के साथ परामर्श के बाद डीएचडी O.M. संख्या L-11/1/2019- Trade (E-11542) दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा भारत में दूध और दूध उत्पादों के आयात के लिए एकीकृत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अधिसूचित किया, जिसमें एफएसएसएआई की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं और डीएचडी की सेनेटरी आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और व्यापारिक हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए, एकीकृत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र की आवश्यकता के कार्यान्वयन के लिए ट्रांजिशन/ माइग्रेसन समय को डीएचडी O.M. संख्या L-11/1/2019- Trade (E-11542) दिनांक 3 जनवरी, 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उक्त O.M. के अनुसार निर्यातक देशों से 30 जून, 2024 के बाद बिल ऑफ़ लेडिंग/वीएचसी जारी करने की तारीख वाले दूध और दूध उत्पादों की आयातित खेप को दूध और दूध उत्पाद के भारत में आयात के लिए केवल एकीकृत पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के आधार पर आयात की मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

मानवेश

19.03.2024

(मानवेश कुमार आई आर एस)

निदेशक (व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)

सूचनार्थ प्रति:

1. समस्त प्राधिकृत अधिकारी- अनुपालन हेतु।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, रिस्क प्रबंधन प्रभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)
3. संयुक्त सचिव, एएचडी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग- जानकारी हेतु।
4. निदेशक, सीमा शुल्क - सीमा शुल्क के उन सभी अधिकारियों को प्रसारित करने के लिए जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है
5. आयुक्त (सिंगल विंडो), सीबीआईसी- सीमा शुल्क के उन सभी अधिकारियों को प्रसारित करने के लिए जिन्हें प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है
6. सीआईटीओ, एफएसएसएआई- एफएसएसएआई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए